

कार्यालय परियोजना संचालक

लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई  
प्लॉट नं. 27-28, निर्माण भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

website: www.mp.gov.in/pwdmp

email: -pdpiu.general@gov.mp.in

Phone- 0755-2551341

44/29/16

क्र. एफ -7-41/2016/शिवपुरी/पंजीयन बहाली /सा/पीडी/668 भोपाल, दिनांक 25/6/2016

:-पंजीयन बहाली आदेश:-

कंसलटेंट इंजीनियरिंग कंसलटेंसी सर्विसेज, प्लॉट नं.-ई-122C, सेकण्ड फ्लोर ग्लोबस अपार्टमेंट, पटेल नगर, ग्वालियर मध्यप्रदेश, द्वारा एसक्यूसी पैकेज क्र. 31 भवनों की लागत रु. 5364 लाख (जिला शिवपुरी एवं श्योपुर) के लिए अनुबंध क्र. 27/2014-15 किया गया। संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पीआईयू, श्योपुर के पत्र क्र. 846 दिनांक 04.09.2015 द्वारा अतिरिक्त परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, पीआईयू, ग्वालियर को अवगत कराया गया कि कंसलटेंसी द्वारा सुपरविजन, परीक्षण एवं मापंकन का कार्य समय पर नहीं किये जा रहे हैं। जिसके आधार पर अतिरिक्त परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, पीआईयू, ग्वालियर के आदेश क्र. सा/कान/पीआईयू शिव/30/14/एपीडी/2215 ग्वालियर दिनांक 09.10.15 द्वारा एसक्यूसी कंसलटेंट इंजीनियरिंग कंसलटेंसी सर्विसेज, प्लॉट नं.-ई-122C, सेकण्ड फ्लोर ग्लोबस अपार्टमेंट, पटेल नगर, ग्वालियर मध्यप्रदेश, कार्यालय मुख्य वास्तुविद लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश में इम्पेनलमेंट सूची सरल क्र. 122, 123 दिनांक 05.01.2016 सूची सरल क्र. 2 दिनांक 03.09.2014 में अलग-अलग कार्यों हेतु पंजीबद्ध है को 01 वर्ष के लिए निलंबित किया गया है।

कंसलटेंट द्वारा आवेदन क्र. 738/ईसीएस/जीडब्ल्यू/2016 दिनांक 19.04.16 इस कार्यालय में प्रस्तुत कर पंजीयन बहाली हेतु अनुरोध किया है जिसके संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र क्र. एफ-7-41/2016/शिवपुरी/पंजीयन बहाली /सा/पीडी/536 भोपाल, दिनांक 18/05/2016 द्वारा संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पीआईयू, शिवपुरी (नोडल पीआईयू) से अभिमत मांगा गया। नोडल पीआईयू शिवपुरी ने अपने पत्र क्र. 437/लेखा/2016-17/शिवपुरी दिनांक 30.05.2016 द्वारा अभिमत इस कार्यालय को प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि एसक्यूसी कंसलटेंट द्वारा जिले में कार्य संतोषजनक रूप से किया जा रहा है एवं पंजीयन बहाली की अनुशंसा की है।

चूंकि एसक्यूसी कंसलटेंट इंजीनियरिंग कंसलटेंसी सर्विसेज, प्लॉट नं.-ई-122C, सेकण्ड फ्लोर ग्लोबस अपार्टमेंट, पटेल नगर, ग्वालियर मध्यप्रदेश, का निलंबन संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पीआईयू, श्योपुर के प्रतिवेदन के आधार पर अतिरिक्त परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, पीआईयू, ग्वालियर द्वारा किया गया है। अतः संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पीआईयू, श्योपुर का अभिमत भी आवश्यक था। दिनांक 22.06.2016 को शासकीय कार्य से संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पीआईयू, श्योपुर परियोजना संचालक, कार्यालय में उपस्थित हुये। इसी दौरान उनके द्वारा परियोजना संचालक कार्यालय की नस्ती के पृष्ठ 4 पर एसक्यूसी कंसलटेंट के लिए टीप दी गई कि वर्तमान में पीआईयू, श्योपुर में निर्माणाधीन कार्यों पर एसक्यूसी कंसलटेंट द्वारा संतोषजनक सेवाएं दी जा रही हैं एवं निलंबन बहाली की अनुशंसा की है।

निरंतर .....2

17-931  
30/6/16

AD (M)  
3/6/2016

20/6/16

Dahel  
30-6-16

Kumar  
30-6-16

संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग, पीआईयू शिवपुरी एवं श्योपुर द्वारा पंजीयन बहाली हेतु की गई अनुशंसा एवं निलंबन का कारण कार्य की खराब गुणवत्ता के बजाय कंसल्टेंसी द्वारा सुपरविजन, परीक्षण एवं मापकन का कार्य समय पर नहीं किये जाना रहा है। वर्तमान में कंसलटेंट द्वारा एसक्यूसी सेवाओं में सुधार किया जाकर संतोषप्रद सेवाएं दी जा रही हैं। वर्तमान में अपीलार्थी एवं पंजीयन निलंबनकर्ता अधिकारियों के मध्य विवाद का मुद्दा समाप्त हो गया है। अतः राज्य शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत एतद् द्वारा अतिरिक्त परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, पीआईयू, ग्वालियर के आदेश क्र. सा/कान/पीआईयू शिव/30/14/एपीडी/2215 ग्वालियर दिनांक 09.10.15 को निरस्त करते हुये इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज, प्लॉट नं.-ई-122C, सेकण्ड फ्लोर ग्लोबस अपार्टमेंट, पटेल नगर, ग्वालियर मध्यप्रदेश का पंजीयन/इम्पेनलमेंट निम्न शर्तों के तहत तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाता है।

1. अपीलार्थी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज, प्लॉट नं.-ई-122C, सेकण्ड फ्लोर ग्लोबस अपार्टमेंट, पटेल नगर, ग्वालियर मध्यप्रदेश को इस आदेश के अनुक्रम में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

(विजय सिंह वर्मा)

परियोजना संचालक

लोक निर्माण विभाग, पीआईयू, भोपाल

पृ. क्र. एफ -7-41/2016/शिवपुरी/पंजीयन बहाली /सा/पीडी/ 669 भोपाल, दिनांक 25/6/2016  
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- 2- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- 3- मुख्यवास्तुविद लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश।
- 4- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश, निर्माण भवन भोपाल।
- 5- मुख्य अभियंता (यो/ब) एवं पंजीयन अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश, निर्माण भवन भोपाल।
- 6- अतिरिक्त परियोजना संचालक, लोनिवि, पीआईयू, ग्वालियर।
- 7- संभागीय परियोजना यंत्री, लोनिवि, पीआईयू, शिवपुरी/श्योपुर।
- 8- इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज, प्लॉट नं.-ई-122C, सेकण्ड फ्लोर ग्लोबस अपार्टमेंट, पटेल नगर, ग्वालियर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 9- आदेश नस्ती।

परियोजना संचालक

लोक निर्माण विभाग, पीआईयू, भोपाल

प्राप्त  
29/6/16